बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० :–2/अ0प्र0–1–52/2020 1687 /पटना, दिनांक :– 2-11-2020

श्री सीता राम सहनी, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, शेरघाटी अन्तर्गत एम०एन०पी० शीर्ष के तहत कार्यान्वित सरई टांड से बहेरी पथ निर्माण में अनियमितता के संदर्भ में मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त स्थल जॉच प्रतिवेदन दिनांक 22.05.2013 के आलोक में विभागीय पत्रांक 3664 अनु0 दिनांक 01.10.2013 द्वारा श्री सहनी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री सहनी से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 14.08.2015 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकृत करते हुए श्री सहनी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 तहत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–3466 अनु0 दिनांक 17.11.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त श्री अरूण कुमार महतो, मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री देव कृष्ण कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. श्री सहनी के विरूद्ध तीन आरोप गठित किये गये। आरोप संख्या–1, पथ में प्रयुक्त जी0एस0बी0 मेटेरियल के रूप में व्यवहार किये गये सामग्री की गुणवता सही नहीं से संबंधित है। आरोप संख्या–2, पथ के दोनों तरफ फ्लैंक में मिट्टी कार्य की चपाई नहीं किये जाने से संबंधित है। आरोप संख्या–3, पथ में एकरारनामा के अनुसार प्रावधानित एन0पी0–3 ह्यूम पाईप के बाजाय कार्य स्थल पर एन0पी0–2 ह्यूम पाईप लगाये जाने का साक्ष्य मिलने से संबंधित है।

4. श्री अरूण कुमार महतो का स्थानांतरण हो जाने के कारण कार्यालय आदेश ज्ञापांक–140 दिनांक 20.01.2017 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता–2 को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

5. श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियंता–2–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 3543 अनु0 दिनांक 14.08.2018 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी द्वारा संवेदक को पथ में त्रुटिपूर्ण कार्य को सुधार किये जाने का निदेश देने एवं संवेदक द्वारा सुधार कर दिये जाने तथा जॉच की तिथि तक विपत्र तैयार नहीं करने के आधार पर सभी आरोपों को अप्रमाणित पाया गया।

6. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरान्त जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दुओं पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) तहत श्री सहनी से विभागीय पत्रांक 66 अनु0 दिनांक 11.01.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

7. श्री सहनी द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान दिनांक 22.01.2019 समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि सहायक अभियंता का कार्य पर्यवेक्षण का है। कार्य विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण सुधार हेतु संवेदक को निर्देश दिया गया था तथा जॉच की तिथि तक कार्य में सुधार नहीं किये जाने के कारण जी0एस0बी0 कार्य को मापी पुस्त में कनीय अभियंता द्वारा कोई मापी अंकित नहीं किया गया था। फ्लैंक में चपाई नहीं होने के आरोप के संबंध में कहा गया है कि पथ के उक्त भाग में कार्य प्रगति पर था, जिसके कारण

जॉच की तिथि तक पथ के उक्त भाग में फ्लैंक के साथ–साथ किसी भी मिट्टी कार्य को मापीपुस्त में अंकित नहीं किया गया था और न ही कोई भुगतान किया गया। गामीणों द्वारा आपत्ति करने के पूर्व ही संवेदक को त्रुटिपूर्ण कार्य को तोड़कर पुनः प्राक्कलन एवं विशिष्टि के अनुरूप कार्य कराने का मौखिक एवं लिखित आदेश दिया गया था तथा इसमें सतत् पर्यवेक्षण किया गया था। जॉच की तिथि तक उक्त एन0पी0–3 पाईप कलभर्ट कार्य को मापीपुस्त में भी अंकित नहीं किया गया था और न ही कोई भुगतान किया गया था।

8. श्री सहनी के द्वितीय बचाव बयान एवं स्थल जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि पथ के प्रथम किलोमीटर के साथ–साथ दूसरे किलोमीटर में भी जी0एस0बी0 कार्य में संवेदक द्वारा निम्न गुणवता का मेटेरियल का उपयोग किया गया तथा फ्लैंक में मिट्टी की चपाई नहीं की गयी, जिससे स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा जी0एस0बी0 कार्य का सतत् पर्यवेक्षण नहीं किया गया तथा संवेदक के विरूद्ध निम्न गुणवत्ता के कार्य के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गयी। पथ की जांच के क्रम में पाया गया कि पूर्व में पथ में जमीन पर ही **Brick Flate Soling** करके एन0पी0–2 ह्यूम पाईप लगाया गया था, जिसपर ग्रामीणों द्वारा आपत्ति उठाये जाने के कारण बाद में एन0पी0–3 ह्यूम पाईप लगाया गया। इस प्रकार मामला संज्ञान में आने के पश्चात ही एकरारनामा के अनुरूप कार्य कराया गया। पथ में त्रुटि को सुधार करा दिये जाने से आरोप समाप्त नहीं हो जाते हैं। अतएव श्री सहनी का द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

9. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सहनी द्वारा दिये गये द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(viii) तहत सहायक अभियंता के निम्नतर कालमान वेतन पर स्थायी तौर पर अवनति की शास्ति अधिरोपित किये जाने के विनिश्चित प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

10. श्री सहनी के विरूद्ध उक्त विनिश्चित् दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक 400 अनु0 दिनांक 21.01.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 888 दिनांक 06.08.2020 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में श्री सीता राम सहनी, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी सम्प्रति सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, औरंगाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(viii) तहत **सहायक अभियंता के निम्नतर कालमान वेतन पर स्थायी तौर पर अवनति** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–52/2020 1688 /पटना, दिनांक :–2-11-2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, गजट वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

02.11.20

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–52/2020 1688 /पटना, दिनांक :– 2-11-2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.11.20

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–52/2020 1688 /पटना, दिनांक :–2-11-2020

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 888 दिनांक 06.08.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

02.11.20

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–52/2020 1688 /पटना, दिनांक :– 2-11-2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/निगरानी विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री सीता राम सहनी, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी सम्प्रति सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.11.20

उप सचिव